भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 563
जिसका उत्तर मंगलवार, 25 जून, 2019 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना

563. **श्री कनकमल कटारा:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु कोई चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में किन अग्रणी ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं ने रुचि दिखाई है;

(घ) देश में ऐसे वाहनों का विनिर्माण करने वाली कंपनियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; और

(ङ) इस तरह की कितनी पहले की गई हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क) और (ख): जी, हां। भारी उद्योग विभाग ने विभाग के पत्रांक 12(31)/2017-एईआई, दिनांक 06 मार्च, 2019 (अनुबंध-I) के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी असेम्बलियों/सब-असेम्बलियों और पुर्जों/उप-पुर्जों/इसकी सब-असेम्बलियों के इनपुट के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक चरणबद्ध विनिर्माणकारी कार्यक्रम (पीएमपी) अधिसूचित किया है।

बाद में, दिनांक 29 अप्रैल, 2019 (अनुबंध-II) को फेम योजना के चरण-II के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए वाहनों की पात्रता हेतु इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड (एक्सईवी) के पुर्जों के लिए अन्य पीएमपी जारी की।

(ग): अब तक, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू विनिर्माण में निम्नलिखित सात (7) ओईएम ने अपनी रुचि दिखाई है:

1. टाटा मोटर्स लिमिटेड
2. महिन्द्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड
3. काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सोल्यूसंस लिमिटेड
4. एम्पीयर व्हीकल्स प्रा. लिमिटेड

5. ओकिनावा ऑटोटेक प्रा. लिमिटेड
6. अथर एनर्जी प्रा. लिमिटेड
7. जितेन्द्रा न्यू ईवी टेक प्रा. लिमिटेड

(घ): फेम इंडिया योजना के अनुसार, योजना की अधिसूचना [का.आ.1300(ई)] दिनांक 08 मार्च, 2019 जो विभाग की वेबसाइट www.dhi.nic.in पर उपलब्ध हैं, के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन के खरीददार को प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ङ): देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक पहलें की गई हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

(i) नई जीएसटी प्रणाली के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर पारंपरिक वाहनों हेतु 22% तक के उप-कर के साथ 28% जीएसटी की तुलना में 12% के निचले स्तर (कोई उप-कर नहीं) में रखा गया है।

(ii) विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 'सेवा' के रूप में बिजली की बिक्री की अनुमति दी है। इससे चार्जिंग अवसंरचना में आकर्षक निवेश के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।

(iii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी से चलने वाले वाहनों के मामले में परमिट में छूट से संबंधित अधिसूचना जारी की।

*****

अनुबंध-I

फा.स. 12(31)/2017-एईआई
भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
****

दिनांकः 6 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: इलेक्ट्रिक वाहन, इसकी असेम्बलियों/ सब-असेम्बलियों और पुर्जों/उपपुर्जों और इसकी सब-असेम्बलियों के इनपुट के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु चरणबद्ध विनिर्माणकारी कार्यक्रम (पीएमपी) ।

अधोहस्ताक्षरी को इसी विभाग की दिनांक 6 मार्च, 2019 की समसंख्यक अधिसूचनाओं की प्रति प्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें सूचनार्थ इलेक्ट्रिक वाहन, इसकी असेम्बलियों/ सब-असेम्बलियों और पुर्जों/उपपुर्जों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु चरणवद्ध विनिर्माणकारी कार्यक्रम (पीएमपी) के बारे में बताया गया।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

भवदीय

संलंग्नकः यथोक्त

(अजय कुमार गौड़)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23061340

सेवा में,

1. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. सीईओ, नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
3. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, इलैक्टॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली
7. सचिव, उद्योग एवं अंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग, नई दिल्ली
9. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली
10. सचिव, नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय, नई दिल्ली

प्रति-

1. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मन्युफेक्चर्स (एसआईएएम), नई दिल्ली
2. सोसाइटी फोर मन्युफेक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स,नई दिल्ली
3. ऑटोमोटिव कम्पोनेन्ट मन्युफेक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए), नई दिल्ली

फा.स. 12(31)/2017-एईआई

भारत सरकार

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

****

नई दिल्ली, दिनांकः 6 मार्च, 2019

अधिसूचना

विषय: इलेक्ट्रिक वाहन, इसकी असेम्बलियों/ सब-असेम्बलियों और पुर्जों/उपपुर्जों और इसकी सब-असेम्बलियों के इनपुट के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु चरणबद्ध विनिर्माणकारी कार्यक्रम (पीएमपी) ।

भारत सरकार ने वर्ष 2011 में नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अनुमोदित किया और बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 का शुभारंभ किया गया। मिशन के भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अप्रैल, 2015 में एक योजना नामतः फेम इंडिया योजना अधिसूचित की। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचना सं. 30/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन, इसकी असेम्बलियों/ सब-असेम्बलियों और पुर्जों/उपपुर्जों और इसकी सब-असेम्बलियों के इनपुट पर मूल सीमा शुल्क और जीएसटी को कम किया गया और उन्हें तर्कसंगत बनाया गया। इससे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआत को प्रोत्साहन मिला।

2. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और प्रोत्साहन देने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वदेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी हाल की अधिसूचना सं. 03/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जनवरी, 2019 के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी असेम्बलियों/ सब-असेम्बलियों और पुर्जों/उपपुर्जों और इसकी सब-असेम्बलियों के इनपुट पर मूल सीमा शुल्क को और कम किया तथा इसे तर्कसंगत बनाया।

3. इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी-तंत्र की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक चरणबद्ध योजना तैयार की गई है जिसमें श्रेणीबद्ध शुल्क संरचना के माध्यम से आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी असेम्बलियों/ सब-असेम्बलियों और पुर्जों/उपपुर्जों और इसकी सब-असेम्बलियों के इनपुट के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका ध्येय देश के अंदर पर्याप्त रूप से मूल्य संयोजन और क्षमता निर्माण को बढ़ाना है।

4. निम्नलिखित चरणबद्ध विनिर्माणकारी कार्यक्रम (पीएमपी) को इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी असेम्बलियों/ सब-असेम्बलियों और पुर्जों/उपपुर्जों और इसकी सब-असेम्बलियों के इनपुट के घरेलू विनिर्माण के विकास के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है, जिसके द्वारा घरेलू मूल्य वर्धन में बढ़ोतरी होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। चरणबद्ध विनिर्माणकारी कार्यक्रम (पीएमपी) भारत में सुदृढ़

इलेक्ट्रिक वाहनों और संबंधित सब-असेम्बली/कंपोनेंट्स विनिर्माणकारी आधार की स्थापना हेतु उनके निवेश की योजना बनाने के लिए इस क्षेत्र में विनिर्माताओं को सक्षम बनाएगा।

क्र.सं.	मद विवरण		30.01.2019 से प्रभावी मौजूदा बीसीडी	चरणबद्ध विनिर्माणकारी प्रस्ताव	
				प्रस्तावित बीसीडी	पीएमपी की प्रस्तावित तारीख
1.	सीबीयू	बस (एचएस 8702) एवं ट्रक्स (एचएस 8704)	25%	50%	अप्रैल, 2020 के बाद
2.	एसकेडी	पीवी (एचएस 8703) एवं तिपहिया (एचएस 8703/8704)	15%	30%	
		दुपहिया (एचएस 8711)		25%	
		बस (एचएस 8702)		25%	
		ट्रक (एचएस 8704)		25%	
3.		बस (एचएस 8702)		15%	
		पीवी (एचएस 8703) दुपहिया (एचएस 8711) तिपहिया (एचएस 8703/8704) एवं ट्रक्स (एचएस 8704)		15%	
4.	ईवी के लिए लिथियम ऑयन एक्यूमुलेटर के विनिर्माण में उपयोग हेतु लिथियम ऑयन सेल (एचएस 85076000)		5%	10%	अप्रैल, 2021 के बाद
5.	ईवी के निर्माण में उपयोग हेतु बैटरी पैक (एचएस 8507)		5%	15%	
6.	ईवी के निर्माण में उपयोग हेतु पुर्जे जैसे • एसी अथवा डीसी चार्जर • एसी अथवा डीसी मोटर • एसी अथवा डीसी मोटर कंट्रोलर • पावर कंट्रोल यूनिट (इन्वर्टर, एसी/डीसी कन्वर्टर, कंडेंसर) • एनर्जी मॉनिटर • कांट्रेक्टर • रिकवरिंग के लिए ब्रेक प्रणाली • इलेक्ट्रिक कंप्रेसर		0%	15%	अप्रैल, 2021 के बाद

इसे इनके पत्र सं.354/47/2018-टीआरयू, दिनांक 13 फरवरी, 2019 के द्वारा राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श और मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(प्रवीण अग्रवाल)
संयुक्त सचिव

अनुबंध-II

फा.स. 7(6)/2019-एनएबी-II (ऑटो)
भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
****

दिनांकः 29 अप्रैल, 2019

सेवा में,

फेम इंडिया योजना के चरण-II हेतु अधिसूचित सभी परीक्षण एजेंसियां।

विषय: फेम इंडिया योजना के चरण-II के तहत पात्रता हेतु एक्सईवी पुर्जों के लिए चरणबद्ध विनिर्माणकारी कार्यक्रम (पीएमपी) में संशोधन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के पूर्व के पत्रांक 7(02)/2019-एनएबी.II (ऑटो) दिनांक 29 मार्च, 2019 के अधिक्रमण में, **अधोहस्ताक्षरी को सभी परीक्षण एजेंसियों के सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालनार्थ फेम इंडिया योजना के चरण-II के तहत पात्रता हेतु एक्सईवी पुर्जों के लिए संशोधित चरणबद्ध विनिर्माणकारी कार्यक्रम (पीएमपी) प्रेषित करने का निदेश हुआ है।**

2. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

भवदीय

संलंग्नकः यथोक्त

(अजय कुमार गौड़)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23061340
ई-मेल: k.gaur@nic.in

फेम इंडिया योजना (चरण-II) के तहत पात्रता हेतु एक्सईवी पार्ट्स के लिए संशोधित चरणबद्ध विनिर्माणकारी कार्यक्रम

क्र.सं.	श्रेणी / मद विवरण	ई-दुपहिया	ई-तिपहिया	ई-तिपहिया	ई-चौपहिया	ई-चौपहिया	ई-बसें
		एल1 एवं एल2	ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट	एल5	एम1	एन1	एम2/एम3
1	एचवीएसी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बी	बी	सी
2	इलेक्ट्रिक कंप्रेसर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	डी	डी	डी
3	व्हील रिम	ए*	ए*	ए*	ए*	ए*	ए
4	कनेक्टर्स के साथ वायरिंग हार्नेस की पॉवर और कंट्रोल	ए	ए	ए	बी	बी	बी
5	एमसीबी / सर्किट ब्रेकर्स / इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस	ए	ए	ए	सी	सी	सी
6	एसी चार्जिंग इनलेट टाइप 2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सी	सी	सी
7	डीसी चार्जिंग इनलेट सीसीएस2/सीएचएडीईएमओ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	डी	डी	डी
8	डीसी चार्जिंग इनलेट बीईवीसी डीसी 001	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	डी	डी	लागू नहीं
9	ट्रैक्शन बैटरी पैक	ए*	ए*	ए*	ए*	ए*	ए*
10	हब मोटर के साथ व्हील रिम इंटीग्रेटेड	बी	बी	बी	बी	बी	बी
11	डीसी - डीसी कनवर्टर	बी	बी	बी	सी	सी	सी
12	इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल	सी	सी	सी	सी	सी	सी
13	वाहन नियंत्रण इकाई	सी	बी	सी	सी	सी	सी
14	ऑन बोर्ड चार्जर	सी	बी	सी	सी	सी	सी
15	ट्रैक्शन मोटर	सी	बी	सी	ई	ई	ई
16	मोटर, मोटर नियंत्रक, ट्रांसमिशन सिस्टम और रियर ब्रेकिंग सिस्टम सहित एकीकृत रियर एक्सल	लागू नहीं	बी	सी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
17	ट्रैक्शन मोटर कंट्रोलर / इन्वर्टर	सी	बी	सी	ई	ई	ई
18	इंस्ट्रूमेंट पैनल	ए*	ए*	ए*	ए*	ए*	ए
19	विंडस्क्रीन वाइपिंग सिस्टम	लागू नहीं	ए*	ए*	ए	ए	ए
20	चेसिस (ई-दुपहियों एवं ई-तिपहियों के लिए - 20% की दर से स्वीकार्य आयातित सामग्री)	ए*	ए*	ए*	ए	ए	ए

टिप्पणी: ट्रैक्शन बैटरी पैक को घरेलू स्तर पर असेम्बल किया जाना है, जिसके लिए बैटरी सेल और संबंधित थर्मल और बैटरी प्रबंधन प्रणाली को आयात किया जा सकता है।

- ऊपर किए गए उल्लेख के अलावा अन्य सभी पुर्जों, कम्पोनेंट, असेम्बली अथवा सब असेम्बली का घरेलु रूप से विनिर्माण/असेम्बल किया जाएगा। सीएमवीआर द्वारा अधिसूचित सुरक्षा कम्पोनेंटों को सीएमवीआर, 1989 के नियम 126 के तहत अधिसूचित परीक्षण एजेंसियों द्वारा परीक्षित किया जाना चाहिए

परिभाषाएं :

एनए - लागू नहीं

कोड	पार्ट्स के स्वदेशीकरण की प्रभावी तारीख
ए	01, अप्रैल, 2019 से प्रभावी
ए*	01, जुलाई, 2019 से प्रभावी
बी	01, अक्तूबर, 2019 से प्रभावी
सी	01, अप्रैल, 2020 से प्रभावी
डी	01, अक्तूबर, 2020 से प्रभावी
ई	01, अप्रैल, 2021 से प्रभावी

आयातित स्रोत में प्रत्यक्ष के साथ-साथ अप्रत्यक्ष आयात शामिल है।

स्वदेशी स्रोत से तात्पर्य घरेलू रूप से विनिर्मित/असेम्बल और परीक्षण से है।

फा.स. 7(6)/2019-एनएबी-II (ऑटो)
भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
****

दिनांकः 2 मई, 2019

विषय: फेम इंडिया योजना के चरण-II के तहत पात्रता हेतु एक्सईवी पुर्जों के लिए चरणबद्ध विनिर्माणकारी कार्यक्रम (पीएमपी) में संशोधन के संबंध में।

****

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के समसंख्यक पत्रांक में इसके अनुबंध की तालिका में दी गई टिप्पणी (उपर्युक्त परिभाषा खण्ड) के पैरा 2 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्त-

''ऊपर किए गए उल्लेख के अलावा अन्य सभी पुर्जों, कम्पोनेंट, असेम्बली अथवा सब असेम्बली का घरेलू रूप से विनिर्माण/असेम्बल किया जाएगा। सीएमवीआर द्वारा अधिसूचित सुरक्षा कम्पोनेंटों को सीएमवीआर, 1989 के नियम 126 के तहत अधिसूचित परीक्षण एजेंसियों द्वारा परीक्षित किया जाना चाहिए''

को निम्नानुसार पढ़ा जाए–

''ऊपर किए गए उल्लेख के अलावा अन्य सभी पुर्जों, कम्पोनेंट, असेम्बली अथवा सब असेम्बली का **घरेलू रूप से विनिर्माण और असेम्बल** किया जाएगा। सीएमवीआर द्वारा अधिसूचित सुरक्षा कम्पोनेंटों को सीएमवीआर, 1989 के नियम 126 के तहत अधिसूचित परीक्षण एजेंसियों द्वारा परीक्षित किया जाना चाहिए''

2. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

भवदीय

(अजय कुमार गौड़)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23061340
ई-मेल: ak.gaur@nic.in

सेवा में,

फेम इंडिया योजना के चरण-II हेतु अधिसूचित सभी परीक्षण एजेंसियां।